सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थ बनाना : समस्याएं एवं चुनौतियां*

एस.एस. मूंदड़ा

श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य; श्री के.के. जालान, सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार; श्री अश्विनी कुमार, अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, देना बैंक; डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी; श्री सुनील कनोरिआ, अध्यक्ष, ऐसोचेम; मंचासीन गणमान्य, बैंकिंग जगत के सम्मानित साथियो; ऐसोचेम के सदस्यगण; प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण; देवियो और सज्जनो! समस्याओं और चुनौतियों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए बैंकरों और उधारकर्ताओं को एक साझा मेंच में एकत्र करना एक नया विचार है और इसलिए लगातार दूसरे वर्ष इस सभा को संबोधित करने के आमंत्रण को मैं अस्वीकार नहीं कर पाया। अतः, मैं इस 'बैंकर-उधारकर्ता-कारोबार' सभा की परिकल्पना करने के लिए तथा इससे अधिक 'एमएसएमई को समर्थ बनाने' हेतु इस दूसरी बैठक की थीम चुनने के लिए ऐसोचेम की प्रशंसा करने के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूं। यह थीम अनेक कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है जैसे - आर्थिक वृद्धि में कमी का जारी होना, बैंकों की कॉर्पोरेट ऋण बही में दबावपूर्ण आस्तियों का इकट्ठा होना, रोजगार सृजन की जरूरत, उद्यमिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना इत्यादि।

2. मैं समझता हूं कि एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत मुद्दों को यहां होने वाली चर्चा में शामिल किया जा रहा है। प्रथम, बैंकिंग जगत के लिए इस क्षेत्र की बेहतर समझ को विकसित करना; द्वितीय, दबावपूर्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को यथासमय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना; तृतीय, एमएसएमई को समर्थ बनाना, यह ऐसा उद्देश्य है जो पहले दो उद्देश्यों से करीब से जुड़ा है।

3. मैं इन तीनों विषयों पर संक्षिप्त बात कहते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, जिन पर विस्तृत विमर्श इसके बाद होने वाले तकनीकी सत्र में किया जा सकता है। बातों को इस संदर्भ में रखते हुए, मैं यह स्मरण करना चाहूंगा कि एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के जीवंत और गतिमान क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 37.5 प्रतिशत का योगदान करता है। इस क्षेत्र का 48 मिलियन उद्यमों का विशाल नेटवर्क है, जो 111.4 मिलियन लोगों[1] को रोजगार प्रदान करता है। यहां इस बात का उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि देश में विद्यमान विपरीत आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए एमएसएमई क्षेत्र उम्मीद का प्रकाश-स्तंभ बना कर खड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में निहित संभावनाओं को महसूस करते हुए, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक -दोनों इस क्षेत्र को ऊर्जावान बनाने के लिए काफी जोर दे रहे हैं। इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के कदम निम्नलिखित हैं - उद्योग आधार, स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया तथा देश में 'कारोबार करना आसान बनाना' के लिए प्रावधान करना। इसी प्रकार से, भारतीय रिज़र्व बैंक भी एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों के प्रति बहुत सजग रहा है और इसलिए उनके जीवन-चक्र के दौरान सहारा प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाया है। मैं, आज के अपने संबोधन में इनमें से कुछ उपायों की चर्चा करूंगा।

एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को मजबूती प्रदान करना

4. छोटे उद्यमियों तथा कारोबारों को ऋण प्रदान करने की प्रणाली की उपलब्धता एवं संभावनाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी)

* 6 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित बैंकरों एवं उधारकर्ताओं की दूसरी कारोबारी बैठक 2016 में श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्घाटन भाषण। श्री जोस कट्टूर एवं सुश्री चैतन्या देवी से प्राप्त सहायता के लिए सहृदय आभार।

[1] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15।

की स्थापना किए जाने को हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। लघु वित्त बैंकों के लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत हिस्सा उन क्षेत्रों को प्रदान करना अनिवार्य होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए वर्गीकरण के पात्र होंगे। इसके अलावा, इन बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि उनके ऋण पोर्टफालियों में से कम से कम 50 प्रतिशत ऋण एवं अग्रिम ₹25 लाख तक के होना सुनिश्चित करें। ऐसा किए जाने के पीछे मंशा यह सुनिश्चित करना है कि इन एसएफबी की ऋण पुस्तिका विविधतापूर्ण (डाइवर्सिफाइड) हो जिनके एक्सपोजर लघु उद्यमियों के प्रति हों। हमें यह भरोसा है कि वर्तमान बैंकों के साथ में, ये बैंक लघु कारोबारियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को समग्ररूप से यथासमय पूर्ण करने में सक्षम होंगे। एमएसएमई की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह मुख्य बात है।

5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देशों में हुए हाल के संशोधनों में भी इस क्षेत्र को ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। जहां, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों के लिए लक्ष्य को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए मार्च 2016 के 7 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2017 तक 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है, वहीं मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत लाया गया है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले सभी ऋण तथा सेवा क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ₹10 करोड़ तक के ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हो जाएंगे।

6. ऋण वितरण प्रणाली का एक बहुत महत्वूर्ण पहलू बैंकों की भीतर प्रशिक्षित मानव पूंजी की उपलब्धता है, जिस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। बैंकर जिस कारोबार का वित्तपोषण करते हैं, उन्हें उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। जमे हुए कारोबारों के संबंध में, जिनके नगदी प्रवाह का पूर्वानुमान किया जा सके; ऋण मूल्यांकन करना, कारोबार चक्र को ठीक तरह से समझना और समस्याओं का विश्लेषण करना छोटे कारोबारों की तुलना में काफी आसान होता है। छोटे कारोबार अक्सर तयशुदा कारोबारी चक्र का पालन नहीं करते और विशेष प्रकार की घटनाओं तथा उन परिस्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं जिनमें उनके प्रवर्तक तुरंत अतिरिक्त इक्विटी लाने की स्थिति में नहीं होते हैं। वर्तमान दशक में, जब बहुत संख्या में लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं, प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है जबकि अपेक्षाकृत कम अनुभवी निचली सीढ़ी के लोगों में एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने, जो जोखिमपूर्ण तथा सेवा प्रदान करने में अपेक्षाकृत महंगा माना जाता है, के लिए अपेक्षित समुचित हुनर का अभाव है।

7. बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन की इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हम लोगों ने बैंकरों के लिए एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय मिशन (एनएएमसीएबीएस) नामक काफी महत्वाकांक्षी राष्ट्र-स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2015 में की है। यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 8 महीनों में लगभग 1800 बैंकर गहन उद्यमिता ग्रहणशीलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। मैं, कौशल निर्माण के प्रयासों के अंतर्गत 'उद्यमिता ग्रहणशीलता' अवयव पर पुनः जोर देना चाहूंगा क्योंकि यह लघु एवं मध्यम उद्यमों के जीवन-चक्र संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख बात है।

8. आकांक्षी उद्यमी, जो अपनी इकाई में प्रौद्योगिकी का अपनाने, उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार लाने के संबंध में अधिक चिंतित होता है। उसके लिए पर्याप्त वित्त की उपलब्धता और सामयिकता की चिंता कम करने का माहौल तैयार करने के लिए बेशक, बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा युक्तिपूर्ण ढंग से काम करने की जरूरत है। इसके लिए अधिक मजबूत तथा प्रतिक्रियाशील वित्तीय आधारभूत संरचना के रूप में अधिक समर्थन प्रदान करने वालों की आवश्यकता होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी पहल अभी विचाराधीन हैं। उनमें से कुछ की झलक मैं यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा।

9. औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से समय पर ऋण की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका सामना छोटे उद्यमियों को करना पड़ता है। मुझे, बैंकों से वित्तपोषण प्राप्त करने संबंधी बहुत जटिल प्रक्रिया, दस्तावेजी अपेक्षाओं तथा सहगामी विलंब के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त होती हैं। रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं से प्राप्त होने वाले ऋण संबंधी आवेदनों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के बारे में दिशानिर्देश जारी किया है और कुछ बैंकों ने ऋण प्रस्ताव तथा उस पर नजर रखने की प्रणाली को लागू भी कर दिया है। हालांकि, सभी बैंकों ने इसे लागू नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, संभावनापूर्ण उधारकर्ताओं के लिए ऋण का आवेदन करने के बाद ऋण की राशि एवं समय के संबंध में अनिश्चितता जारी है। इस प्रक्रिया का आसान बनाने के लिए, सूचना अंतराल को पूरा करने, प्रक्रियागत समय तथा लेनदेन की लागत को कम करने की निगरानी किए जाने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), सिडबी और ई-अभिशासन के विशेषज्ञों से सक्रियतापूर्वक विचार-विमर्श कर रहा है ताकि लघु उद्यमियों को उपलब्ध कराने के लिए सर्वव्यापी 'उद्यमी' पोर्टल की स्थापना की जा सके।

10. वित्तीय समावेशन से संबंधित मध्याविध राह के संबंध में गठित समिति (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती) ने एमएसएमई के लिए व्यावसायिक ऋण सलाहकार की पड़ताल करने की अनुशंसा की है। व्यावसायिक ऋण सलाहकार बैंक तथा उधारकर्ताओं के बीच सूचना अंतराल को पाटने में मदद कर सकते हैं। यह अंतराल एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में आज की स्थिति में बड़ी बाधा है। जैसा कि, गवर्नर ने कल के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया है कि कुछ ऋण सलाहकारों को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है जो सूक्षम एवं लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का अधिक सुविधापूर्वक तथा लचीले ढेग से लाभ लेने के लिए सुविधा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। चूंकि एमएसएमई विशेष प्रकार के उद्यम होते हैं जिनको ऋण संबंधी इतिहास अपेक्षाकृत कमजोर होता है तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की विशेषज्ञता का अभाव होता है। इसलिए ऋण सलाहकार सूचना अंतराल को पाटने में मदद कर सकते हैं और इसके माध्यम से बैंकों को ऋण संबंधी बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं। रिज़र्व बैंक सभी साझेदारों से विचार-विमर्श करेगा और इस संबंध में दिशानिर्देश सितंबर 2016 तक जारी कर दिए जाएंगे।

11. चल आस्ति का पंजीयन एक अन्य वित्तीय आधारभूत संरचना है जिसका लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने में गुणनकारी प्रभाव हो सकता है। आज की स्थिति में, सीईआरएसएआई अचल संपत्ति के पंजीयन के माध्यम से प्रतिभूति की सुविधा उपलब्ध कराता है। हालांकि, लघु कारोबार वाले अधिकांश उद्यमियों के पास संपार्श्विक के रूप में रखे जाने के लिए अचल संपत्ती नहीं होती है। इनके स्वामित्व में मशीनरी, स्टॉक्स, प्राप्त करने योग्य वस्तुएं अथवा पशुधन होते हैं, जिनका उपयोग बैंकिंग प्रणाली से वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है यदि 'चल आस्ति' का पंजीकरण उपलब्ध हो। हम इस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं।

जीवन-चक्र संबंधी खबरें - एमएसएमई का पथ

12. एमएसएमई के जीवन-चक्र, विशेषरूप से लघु इकाइयों के संबंध में, भविष्यवाणी करना बहुत कठिन समस्या है। सूक्ष्म उद्यमी में न तो बहुत कारोबारी सूझबूझ होती है न ही उनके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। अपेक्षाकृत बड़े कारोबारों के विपरीत, इन कारोबार-चक्रों की अनिश्चितताओं पर यथासमय कार्रवाई करने की अयोग्यता अक्सर सूक्ष्म उद्यमों के लिए घातक साबित हो सकती है। लघु कारोबारों के जीवन-चक्र के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों में संसाधनों के सहारे की सामयिकता बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मैं, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में बताना चाहूंगा।

13. भारतीय रिज़र्व बैंक ने कारोबारी प्राप्य वस्तुओं की बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) के प्रचालन के लिए हाल ही में तीन संस्थाओं को लायसेंस जारी किया है। यह प्रणाली चालू हो जाने से एमएसएमई क्षेत्र जिस प्रमुख मुद्दे अथात् प्राप्य की उगाही की सामयिकता से जूझ रहा है, उसका निपटान हो जाएगा। यह एक पथप्रदर्शक कदम है। अन्य दशों में ऐसे प्रयास बहुत थोड़े ही हुए है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए सभी साझेदारों, अर्थात् बड़े

कॉर्पोरेटों, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) तथा अंततः सरकारी उद्यमों के पूरे-पूरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।

14. भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को होने वाले ऋण प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए हाल ही में दिशानिर्देश जारी किया है। बैंकों को यह कहा गया है कि वे एमएसई क्षेत्र के प्रति अपनी वर्तमान ऋण नीतियों का समीक्षा करें और मीयादी ऋणों के मामले में अतिरिक्त ऋण सुविधा (स्टेंडबाई क्रेडिट फैसिलिटी) मंजूर करने, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमाओं, ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने इत्यादि के प्रावधानों को शामिल करते हुए अपनी नीति में उचित परिवर्तन लाएं। मैं, इस अवसर का लाभ लेते हुए बैंकों से अनुरोध करूंगा कि लघु उद्यमियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें और संकट के समय में मदद का हाथ बढ़ाएं।

15. तृतीय, यह देखा गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में, समुदायों में, तथा गैर-मान्यता प्राप्त संकुलों में बुनकरों, हस्तशिल्पियों इत्यादि जैसे सूक्ष्म उद्यमियों के जीवन-चक्र के मामले काफी अधिक विकट हैं। वे अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों तथा अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने के लिए अक्सर मजबूर हो जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में समुदायों/संकुलों के संबंध में डिप स्टिक सर्वेक्षण किया है और पाया कि ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बढ़ाए जाने की भारी संभावना है। मैं, बैंकों से अग्रसक्रिय होकर संकुलों/समुदायों के बीच अपनी बैंकिंग शाखाएं खोलने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह एक विवेकपूर्ण कारोबारी विचार है।

उद्यमियों का सबलीकरण

16. आपूर्ति पक्ष के मुद्दों की खूब छानबीन करने तथा मुख्य रूप से संस्थागत आधारभूत संरचना पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अब मैं इसके मांग पक्ष के बारे में बात करना चाहूंगा। उद्यमिता संबंधी महत्वाकांक्षा वाले लोगों का मिलना कठिन नहीं है किंतु नए उद्यमियों को अच्छी कारोबारी जानकारी तथा बाजारों एवं बैंकिंग की अंतर्निर्भरता, मांग-आपूर्ति की पहेली, प्रौद्योगिकी की समझ इत्यादि के बारे में जागरूक बनाने की आवश्यकता है।

17. किसी व्यक्ति को उद्यमिता करने के लिए तैयार करना संसाधन उपलब्ध कराने वालों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं उद्यमी के लिए होता है। ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-एसईटीआई) इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक रहा है जो ग्रामीण नौजवानों को सूक्ष्म उद्यम करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। लगभग 600 आर-एसईटीआई के माध्यम से प्रत्येक वर्ष लगभग तीन लाख नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से तो यह एक बेहतरीन कार्यप्रणाली है किंतु मैंने देखा है कि समय के दौरान आर-एसईटीआई विशिष्ट प्रकार की अनियमितताओं की शिकार हो गई हैं। मेरे विचार में, ऐसे संस्थानों का सुस्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, प्रशिक्षणार्थियों के चयन की मजबूत प्रणाली होनी चाहिए, प्रशिक्षण उपागमों को निरंतर अद्यतन किया जाना चाहिए, सहारा प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें ऋण संबद्धता सुनिश्चित की जाए, इत्यादि। मैं यह महसूस करता हूं कि आर-एसईटीआई के परिचालनों एवं प्रबंध के प्रति हमारी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने की जरूरत है। सभी आर-एसईटीआइ को मिलाकर एक राष्ट्रीय न्यास बनाया जाना शायद, आदर्श स्वरूप होगा जिसमें बेहतर गतिशीलता/ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पृथक अभिशासन ढांचा होना चाहिए। इससे उनके परिचालनों से बैंक की नजदीकी सुनिश्चित होगी जबकि वे बैंकों से निधीयन के रूप में सहायता प्राप्त करते रहेंगे। हम लोगों ने कुछ आंतरिक अध्ययन किया और इसे प्राप्त करने की स्पष्ट संभावना दिखाई दे रही है। मैं, बैंकों और आईबीए से अनुरोध करूंगा कि इस संस्थान को यथार्थ में उपयोगी बनाने के लिए साथ मिलकर कार्य करें।

18. मैं, इस संबंध में जिस दूसरे मुद्दे को रेखांकित करना चाहूंगा वह है एमएसएमई के पुनरूज्जीवन और पुनर्वास के लिए हाल ही

में घोषित ढांचा। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य साझेदारों से विचार-विमर्श करते हुए उद्यमों के पुनर्वास के लिए संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है जो सक्षम रूप से व्यवहार्य हैं, किंतु इसमें अस्थायी अवरोध हैं। किसी बैंक के नज़रिए से, लघु उद्यमों के जीवन-चक्र में सबसे महत्वपूर्ण अवधि उद्यम के आसानी से प्रारंभ होने होने और रुग्ण हो जाने के बीच की लघु अवधि होती है। ढांचे के अंतर्गत संरचनागत प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसकी शुरुआत दबाव के प्रथम लक्षण प्रकट होने पर बैंकर की ओर से या उद्यमी की ओर से की जा सकती है। समस्या का समाधान समिति द्वारा समयबद्ध ढंग से किया जाता है। मुझे यकीन है कि यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो इससे ऐसे उद्यमों को नष्ट होने देने के बजाय लाभ कमाने वाले उद्यमों को बचाने में बहुत मदद मिलेगी। मुझे यह भरोसा है कि उद्यमी इस प्रणाली को सचमुच में सबल करने वाला पाएंगे।

19. तृतीय, यह समय इस बात के पुनरावलोकन का है कि क्या हमें इस क्षेत्र के प्रति 'एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त है' की धारणा को बदलकर विशेषीकृत सूक्ष्म क्षेत्र की ओर केंद्रित करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म क्षेत्र स्वयं विविध उद्यमों से निर्मित है। बैंकिंग जगत को यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि वे सूक्ष्म क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार बनाकर अपनी प्रक्रियाओं और उत्पादों में किस प्रकार से अंतर ला सकते हैं।

20. संस्थागत प्रणाली के अंतर्गत, आश्वस्त करने वाले विचार के रूप में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक में हम लोग उद्यमियों की मुसीबत एवं पीड़ा के प्रति जागरुक हैं तथा हम लोगों ने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मामलों पर विमर्श करने और उनके समाधान ढूंढने के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित की है। प्रथम, राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी सलाहकार समिति है, जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं करता हूं और इसमें कुछ औद्योगिक इकाइयों का भी प्रतिनिधित्व है। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकार प्राप्त समिति होती है। इसके अलावा, आवधिक अंतरालों पर टाउन हाल बैठकें आयोजित की जाती हैं जो फीडबैक के लिए मंच के रूप में कार्य करती हैं। इनमें से प्रत्येक मंच, एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए नीतिगत एवं प्रचालनात्मक मामलों पर चर्चा करने और उनके समाधान ढूंढने के लिए जीवंत प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मैं, ऐसाचेम सहित औद्योगिक इकाइयों से अनुरोध करूंगा कि महत्वपूर्ण मुद्दों (न कि सिर्फ ब्याज दर घटाने की शब्दाडंबरपूर्ण बातें करें) पर विचार-विमर्श करने के लिए इन मंचों का समुचित प्रयोग करें और नीतिगत हस्तक्षेपों के संबंध में अपने सुझाव रखें।

उपसंहार

21. मैं, अपनी बात समाप्त करने के पहले पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि कोई उद्यमी तब सशक्त महसूस करेगा जब वह जानकारी/ज्ञान के अंतराल को पाटने में सक्षम होगा। एक-दूसरे की मदद करने से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चाहे यह कौशल विकास की बात हो, सहायता प्रदान करने की बात हो या सहारा प्रदान करने की बात हो; एमएसएमई को सबल सशक्त बनाने में औद्योगिक इकाइयों की प्रमुख भूमिका होती है। आपको ज्ञात होगा ही कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव इस पक्ष में रहा है कि औद्योगिक इकाइयां लघु कारोबारों के लिए साथी-सलाहकारों के रूप काम करें। मैं यह देख सकता हूं कि उद्यमियों को सशक्त बनाने में ऐसाचेम जैसे संघों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुझे खुशी है कि ऐसोचेम इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आज प्रकाशित रिपोर्ट उनके प्रयासों का साक्ष्य है।

22. मैंने पिछले वर्ष अपने संबोधन के अंत में जो कहा था उसे दोहराते हुए, उधारकर्ताओं के शिक्षण (विशेषरूप से लघु कारोबारों के संबंध में) के महत्व पर आज पुनः जोर देना चाहूंगा। बैंकों और उधारकर्ताओं के बीच सांकेतिक संबंध होते हैं और इसलिए उधार देने वालों और उधार लेने वालों -दोनों को उनकी मूलभूत जिम्मेदारियों को समझना होगा, एक-दूसरे से सहयोग करना होगा

और सामान्य आचार संहिता तथा अनुशासन का पालन करना होगा। हमें यह महसूस करना होगा कि यदि कारोबार बना रहता है तो उधारकर्ता और बैंकर -दोनों समृद्ध होंगे।

23. जैसा कि मैंने अपने संबोधन के प्रारंभ में कहा था कि संवहनीय आर्थिक वृद्धि के लिए एमएसएमई की भूमिका प्रमुख है। इसलिए, इन उद्यमों का फलना-फूलना हमारे सामूहिक हित में होगा। शायद माओत्सेतुंग ने कहा था कि खरबों एमएसएमई को पनपने दो !

अपने विचार साझा करने के लिए यहां आमंत्रित करने के लिए मैं ऐसोचेम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद !